## खुला बाजार बिक्री योजना) घरेलू(

बफर स्टॉक बनाए रखने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा भारतीय खाद्य निगम, सरकार के निर्देशों पर, खुला बाजार बिक्री योजना) घरेलू (के अंतर्गत पूर्व निर्धारित मूल्य पर ईनिविदा के माध्यम - ) से केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नगेहूं और चावल का (अधिशेष स्टॉक समयसमय पर खुले - बाजार मेंनिम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बेचता है -:

- कमी के मौसम के दौरान और कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए
- खुले बाजार में मूल्यों को वहनीय बनाने के लिए
- अधिशेष स्टॉक की बिकवाली के लिए
- खाद्यान्नों की रखाव लागत कम करने के लिए

2 . वर्ष 2017- के दौरान 18भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्रीय पूल से खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत खुले बाजार में (घरेलू)53 लाख टन गेहूं की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017-के अंतर्गत निजी बल्क (घरेलू) के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना 18 1790 व्यापारियों को गेहूं की बल्क बिक्री के लिए रिजर्व मूल्य/क्रेताओं/- रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, जिसमें विशिष्ट संचलन सहित सभी प्रकार की बिक्री के लिए (डेडिकेटेड मूवमेंट) लोडिंग एवं हैंडलिंग प्रभार शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में खुला बाजार बिक्री योजना 1790 के अंतर्गत गेहूं की बिक्री के लिए रिजर्व मूल्य (घरेलू)/- रुपए प्रति क्विंटल है। इन राज्यों में जून,के अंतर्गत गेहूं की कोई (घरेलू) तक खुला बाजार बिक्री योजना 2017 बिक्री नहीं की गई ।

.3 पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में लुधियाना से निकटतम रेलवे स्टेशन तक और जिस डिपो में बिक्री की जा रही है, रेलहेड से उस डिपो तक सड़क ढुलाई प्रभार लागत को गेहूं के रिजर्व मूल्य में जोड़ा जाता है । खरीद न करने वाले राज्यों में खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत गेहूं की बिक्री तत्काल शुरू कर दी गई थी । (घरेलू) तथापि, अन्य राज्यों में यह गेहूं की खरीद की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू की गई ।

.4 गेहूं की खरीद न करने वाले राज्यों में गेहूं की बिक्री मार्च के अंत तक जारी 2018 रहेगी औरउठाने की अनुमति तक है। गेहूं खरीद करने वाले राज्यों में गेहूं 2018 अप्रैल 15 15 की बिक्री की अनुमति,3,2018 तक इस शर्त पर दी गई है कि 31.3.को या उससे 2018 पहले उठाव किया जाए।

.5 वर्ष 2017- के दौरान 18भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्रीय पूल से खुला बाजार बिक्री योजना ए चावल की बिक्री का लक्ष्य भी रखा -लाख टन ग्रेड 20 के अंतर्गत (घरेलू) गया है।वर्ष 2017- के लिए खुला बाजार 18बिक्री योजना ए चावल -के अंतर्गत ग्रेड (घरेलू) 2500 की बिक्री के लिए समग्र रिजर्व मूल्य/- रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। चावल की बिक्री पूरे वर्ष के दौरान की जाएगी, परंतु खरीद करने वाले राज्यों में धान की खरीद के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर (घरेलू)्गत कोई बिक्री नहीं की जाएगी।

.6 खुला बाजार बिक्री योजना नीलामी के माध्यम से गेहूं और -के अंतर्गत ई (घरेलू) चावल की बिक्री की पद्धति वही होगी, जो वर्ष 2016-के दौरान थी। 17

7. के (घरेलू) वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना 5 विगत अंतर्गत बेचे गए गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है-:

(मात्रा लाख टन में)

| वर्ष | गेहूं | चावल |
|---|---|---|
| 2012-13 | 68.67 | 0.99 |
| 2013-14 | 61.16 | 1.68 |
| 2014-15 | 42.37 | शून्य* |
| 2015-16 | 70.77 | 1.11 |
| 2016-17 | 45.67 | 1.78 |
| 2017-18** | 05.73 | 2.62 |

2014 वर्ष *- के दौरान चावल की बिक्री नहीं की गई थी। 15

थे सप्ताह तक4 नवंबर के **